4539/DEL/PART/300/42/7067/2005

CERTIFICATE

Modified RC No.4539/DEL/1000/42/ 7067/2005


(capacity of RC enhanced from 300 to 1000workers)

भारत सरकार श्रम मंत्रालय

rotector General of Emigrants अवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

Ministry of Overseas Indian Affairs माण-पन्न CERTIFICATE

> [ नियम 10(2) देखिए| [See rule 10 (2)]



विदेशी नियोजकों के साथ भारतीय कर्मकारों के नियोजन के लिए भर्ती का कारवार प्रारम्भ करने या चलाने के लिए उत्प्रवास ग्रधिनियम, 1983 की धारा 10 के ग्रधीन प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए..... तारीख के श्रावेदन के संबंध में मैं ......को उनत प्रमाण-पत्र दिया जाता है जो इस प्रमाण-पत्र

के जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित निबन्धन और जातों के अधीन प्रभावी होगा :—

With reference to the application dated 15-03-65 grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s. Sai.

International is hereby granted the said certificate effective into the date of issue of this certificate, subject to the following terms and conditions, namely:-Shri Sonab Pal.....Mg. Pa rtner

RZ-259, Gali No.19, Tughlakabad Extn., (i) यह कि कारवार का संचालन.... New Delhi-1.10019....... किया जाएगा

(i) that the business shall be conducted at ....

(ii) यह कि प्रमाण-पव......कर्मकारों की भर्ती पूरी हो जाने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, बैस है। विनिर्दिष्ट अविध के पूर्व विनिर्दिष्ट संख्या में मर्ती पूरी हो जाने की दशा में प्रमाण-पत्र धारक को वास्तिविक मांग का साक्ष्य पेश किए जाने पर ग्रीर नियम 8 के उपनियम (2) के ग्रधीन ग्रतिरिक्त प्रतिभृति देने पर प्रमाण-पत्र की समाप्ति तक भर्ती चालू रखने के लिए अनुज्ञात किया जा-

period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub-rule (2) of rule 8;

(iii) यह कि प्रमाण-पत्न धारक करवार का संचालन ग्रपने हस्ताक्षर ग्रीर निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी की मोहर से करेगा तथा प्रमाण-पत्न अंतरणीय नहीं होगा ;

(iii) that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the director/partners/proprietor and the certificate shall not be transferable :

(iv) कि इस पंजीकरण प्रमाण पत्न की एक फोटोप्रति व्यवसाय परिसर के उचित स्थान पर प्रमुखता से प्रदिशित की जाएगी । पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रति भी जिसपर यह पृथ्ठांकित हो कि भर्ती एजेंट को अन्य स्थान पर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यदि कोई हों, ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर के उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी । उत्प्रदास प्राधिकारियों/कानुन प्रवर्तन प्राधिकारियों तथा नियोजक द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण-पत्न प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iv) that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorised the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at conspicuous place in the business premises of such Branch Office. Original Certificate shall be produced on dernand by the emigration authorities/law-enforcing

authoritics and employer.

दरियों का भी पालन करेगा :

(v) यह कि प्रमाण-पत्न धारक सामान्यतः अपने कारबार का संचालन रिजस्ट्रीकरण के लिए आबेदन में उपदिशित स्थान से करेगा । आदेदन में उपर्दाणत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई भर्ती केन्द्र खोलने के लिए प्रमाण-पत्र धारक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ;

(v) that the holder of the certificate shall normally conduct the business from the place indicated in the application for registration. For opening a Recruitment centre at a place other than the place indicated in the application, the holder of the certificate has to obtain the prior approval of the Registering Authority.

(vi) यह कि प्रमाण-पत्न धारक अपने कारवार के संचालन या संव्यवहार के प्रयोजन के लिए उप अभिकर्ता को नियोजित नहीं करेगा;

(vi) that the holder of the 'certificate shall not employ sub-agents for the purpose of conducting or carrying on his business, (vii) यह कि प्रमाण-पन्न धारक उत्प्रवासियों से विहित फीस से अधिक प्रभारित नहीं करेगा और विहित मानक सज-

(vii) that the holder of the certificate shall not charge more than the prescribed fee from the emigrants and also adhere to prescribed standard wages.

(viii) यह कि प्रमाण-पत्न धारक अपने कारबार के स्थान पर निम्नलिखित स्थायी अभिलेख बनाये रखेगा:--(viii) that the holder of the certificate shall maintain the following permanent records at his place of business.

(क) मूल निस्तारण पूंजी के प्ररूप में जिसमें भर्ती किए जाने वाले उत्प्रवासियों से प्रभारों की प्राप्त का एक रजिस्टर जिस में ऐसे प्रत्येक उत्प्रवासी के हस्ताक्षर होंगे जिनसे प्रभार वसूल किया गया है ऐसा प्रत्येक रजिस्टर भर्ती के लिये की गई मांग के प्रति निर्देश से होगा ।

(a) a Register of receipt of charges from emigrants recruited, in the form of an original acquittance Roll containing the signature of each emigrant from whom the charge has been received. Each such Register shall be with reference

to a demand for recruitment.

(ख) नियोजकों से उनकी फोटोस्टेट प्रतियां सहित अभिप्राप्त रकम और पूर्व संदत्त टिकट सजाह के रजिस्टर और अभिलेज मांगवार रखे जायेंगे।

(b) a Register and recrod of the amounts and Pre-paid Ticket Advices, alongwith their photo copies received from the employers, identified demand-wise.

(ग) इस्तावेजों द्वारा समर्थित मांगवार उत्प्रवासियों की भर्ती की बाबत उपगत व्ययों का विवरण देने वाला रिजस्टर ।

(c) a Register containing detials of experisos incurred on recruitment of emigrants demand-wise supported by documents.

(ब) ऐसे प्रत्येक नियोजक के लिए जिसकी धन की मांग के बारे में प्रमाण-पन धारक ने कार्यवाही की है, कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है या कार्यवाही कर रहा है, व्यप्टिक फोल्डर ।

(d) individual folders for each employer whose demands of labour, the holder of the certificate has processed, proposed to process or is processing.

(छ) प्रमाण-पत्न धारक द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक उत्प्रवासी के जीवनवृत्त जिसमें पूर्ण विशिष्टियां जिसके अन्तर्गत उनके निकट संबंधी कानाम, पता, ग्रायुं, कीशल अनुभव और नाम और पता भी है, दी जाएगी।

(e) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and name and address of next of

kin) of each emigrant recruited by the holder of the certificate.

(च) उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा यथा ग्रामित्रमाणित प्रत्येक उत्प्रवासी के नियोजन संविदाओं की प्रतियां । (f) copies of employment contracts of each emigrant as authenticated by the Protector of Emigrants.

(छ) मल मांग, मख्तारनामा ग्रीर नियोजको के साथ पत्र-व्यवहार । (g) original demand, power of attorneys and correspondences with the employers.

(ज) उत्प्रवासियों की मतीं से संबंधित सभी दस्तावेजों जिनके अन्तर्गत जारी किए गए सभी विज्ञापनों साक्षात्कार पत्नों और भावेदकों के साम पत्न व्यवहारों, मूल, अधिनिर्णय पत्नों जिसके कारण चयन हुआ है, की कार्यालय प्रतियां चयन प्रक्रिया में भंतर्यक्तित व्यक्तियों के नान और पत्र िहुईक याँ, राज्याम प्रतिश्रण संस्कृति विक्रिक्तिमों की प्रतिश्रो भा है।

(h) all documents relating to recruitment of emigrants, including office copies of all advertisements issued, letters to interviews and correspondence with the applicants, original award sheets leading to the selection, names and add-ress of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments, trade-testing particulars, etc.

(क) नियोजकों से ग्रिमिप्राप्त बीजा का रिजस्टर जिसमें सम्मिलित ग्रीर व्यध्टिक बीजाग्रों का ग्रलग लेखा-जोखा होगा । (i) a Register of visas received from the employers, giving separate account of block and individual visas.

(म) प्रमाण-पत्न धारक द्वारा भर्ती किए गए उत्प्रवासियों या उनके आधितों द्वारा शति या मृत्यु के लिए प्रतिकर के पावों का एक रजिस्टर जिस में उत्प्रवासी का नाम, पता, उत्प्रवास संख्या, नियोजन देने दाले देश का पता, नाम, यथा स्थिति क्षति या मृत्यु की प्रक्रिया, पुर्वटना की तारीख प्राप्तिकर्ता का नाम और पता नियोजक का नाम और पता ग्रीर प्रतिकरका संदाय किये जाने के प्रतीकारात्मक स्वरूप मल रसीद लगाई जाएगी ।

(j) a Register of claims for compensation for injury or death made by the emigrants or their dependents, recruited by the holder of the certificate giving the name, address of the emigrant, emigration number, country of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name and address of the recipient, name and address of the employer, and the receipt in original in token of having made the payment of compensation be pasted.

(ट) ऐसे ग्रन्य ग्रभिलेख जो रजिस्ट्री हती प्राधिकारी द्वारा बनाए रखे जाने के लिए ग्रवेक्तित हो। (k) such other recrods as may be required to be maintained by the registering authority.

(ix) यह कि प्रमाण-पत्न धारक ग्रमले मास के दसवें दिन तक प्रत्य 4 में पूर्ववर्ती मांग की विवरणी देगा ।

(ix) that the holder of the certificate shall furnish return of the preceding mouth in Form IV by the 10th of the succeeding

(x) यह कि उत्प्रवासियों की नर्ती के लिए विज्ञापनों की प्रतियां उत्प्रवासी संरक्षक के पास फाइल की जाएंगी।

(x) that copies of advertisements for recruitments of the emigrants shall be filed with the Protector of Emigrants; and

(xi) मैं यह कि भर्ती अभिकर्ता उत्प्रवासी से संप्रत्यावर्तन व्ययों को प्रभावित नहीं करेगा ।

New Delhi, 24 X 2005

(xi) that recruiting agent shall not charge the repatriation expenses from the emigrant,

(R.K. Singh) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

के हस्ताक्षर नाम और मोहर

Signature, name and seal of the Registering Authority

Protector General of Emigrants/ Registering Authority h

Joint Seasons: 11

MGIPMRND-M-3 Lab.-7-1-1998- 3,000.

तारीख और स्थान :

Date and Place :

. मा.च वार्य चंत्राप्रय d elements Indian Affeirs



## भारत सरकार विदेश मंत्रालय Government of India **Ministry of External Affairs**

## पंजीकरण प्रमाणपत्र REGISTRATION CERTIFICATE

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन जारी **ISSUED UNDER SECTION 11 OF THE EMIGRATION ACT, 1983** 

प्रमाणपत्र सं. ख CERTIFICATE NO. B - 1379 OF LIPER 1000 HS 9896 300 प्रमाणपत्र संरकार विदेश मंत्रालय प्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाण किया जाता है, अर्थात् :  (हों प्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाण किया जाता है, अर्थात् :  (हों प्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाणपत्र के संवर्ध प्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और शर्ती पर प्रमाणपत्र के संवर्ध प्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन और पर प्रमाणपत्र पत्रमाणपत्र को जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निबंधन की जारी करने की तारिख से निम्मलिखित निवंधन के संरमलिखित निम्मलिखित	(ii) कि यह प्रमाणपत्र पहिल्ला वर्षों की अवधि के लिए या प्रिकार की स्ट्रिंग । विनिर्धारित अवधि से पहले निर्धारित संख्या के अनिकों की भर्ती पूरी हो ने तक, जो पहले हो, वैध रहेगा । विनिर्धारित अवधि से पहले निर्धारित संख्या के अनिकों की भर्ती पूरी हो जाने की स्थिति में प्रमाणपत्र धारक को वास्तविक मौंग का साक्ष्य प्रस्तुत करने और नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर प्रमाणपत्र की वैधता अवधि पूरी होने तक भर्ती करते रहने की अनुमति द्वी जा सकेगी। that this certificate is valid for a period of
	(iv) कि इस पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय—परिसर में एक घ्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बढ़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य परिसर में, यदि कोई उपलब्ध है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सल्यापित उसकी एक प्रति ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर में घ्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बढ़े अक्षरों में लिखकर दर्शायी जाएगी जिसमें भर्ती एजेंट को व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु पृष्ठांकित किया गया होगा। मूल प्रमाणपत्र उत्प्रवासन प्राधिकारियों / विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों और नियोक्ताओं द्वारा मोंगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also, a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorized the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at a conspicuous place in the business premises of such Branch Office, Original Certificate shall be produced on demand by the emigration authorities/law enforcing authorities and employer;

3.

4.

5.

7.

8.

.11००.19 में किया जाएगा।	authorities and employer;
एजेंसी का विवरण PARTICULARS OF THE AGENCY  पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. Registration Certificate Number B-1379DELLPER 1000459896 2021  एजेंसी का नाम Name of the Agency Mrs. Sai International Lenices  एजेंसी के कार्यालय का पता  Office Address of the Agency Black G-31, 2nd Floor backs of the Agency floor bac	9. एजेंसी की दूरमाष सं. Telephone Number of the Agency OII-II- Yo So Y.&YY  10. एजेंसी की फैक्स सं. Fax Number of the Agency  11. एजेंसी का ई-मेल पता Email address of the Agency Port of Society Nices @gmcil. Com  12. पं. प्र. जारी करने की तारीख Date of issue of RC  13. वैधता अवधि/Period of validity from // 10 202/ से/to 22 09 2026  14. वैधता समाप्त होने की तारीख Date of expiry of validity Date of expiry of validity Limit of workers to be recruited  15. मर्ती के लिए अमिकों की सीमा Limit of workers to be recruited  16006 (One Thousand) Plus  16 अमिकार मान और मोहर SIGNATURE, NAME AND SEAL OF THE REGISTERING AUTHORITY GRACIENT Protector General of Emigrants
Position in the AgencyIAULANA.01	